न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

1. अपील डिक्री/टी0ए0/989/2002/नागौर.

1. रफीक पुत्र सदीक (मृतक) जरिये वारिसान
   - 1/1– नसीबन बैवा रफीक
   - 1/2– जीमल अहमद पुत्र रफीक
   - 1/3– जलालुदीन पुत्र रफीक
   - 1/4– मोहम्मद शकील पुत्र रफीक
   - 1/5– इक्फतकार पुत्र रफीक
   - 1/6– अलरोज पुत्र रफीक
   - 1/7– फिरोज पुत्र रफीक
   - 1/8– जुबैदा पुत्री रफीक
   - 1/9– रजिया पुत्री रफीक
   - 1/10– आबिदा पुत्री रफीक
   - 1/11– समीना पुत्री रफीक
2. हाफीज पुत्र सदीक

   समस्त जाति देशवाली मुसलमान निवासीगण बालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर।

अपीलांटस....

बनाम

1. मोतीराम पुत्र लादूराम (मृतक) जरिये वारिसान–
   - 1/1 रामूराम पुत्र
   - 1/2 भगवानाराम पुत्र
   - 1/3 जीतूराम पुत्र
   - 1/4 सुगना देवी पुत्री
   - 1/5 कोयली बेवा मोतीराम
2. सदुडी बेवा गणेशराम

   समस्त जाति मेघवाल निवीसगण बालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार।

रेस्पो0 ....

उपस्थितिः–
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलांट
श्री एस0पी0सिंह, अभिभाषक रेस्पो0 1 व 2
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, उप राजकीय अधिवक्ता

–––––

2. अपील डिक्री/टी0ए0/3689/2005/नागौर.

1. मु0 सदुडी बेवा गणेशराम
2. मोतीराम पुत्र लादूराम मृतक जरिये वारिसान–
   - 1/1 रामूराम पुत्र
   - 1/2 भगवानाराम पुत्र
   - 1/3 जीतूराम पुत्र
   - 1/4 सुगना देवी पुत्री
   - 1/5 कोयली बेवा मोतीराम

2. सदुडी बेवा गणेशराम
समस्त जाति मेघवाल निवासीगण बालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर।
अपीलांट्स....

बनाम

1. रफीक पुत्र सदीक (मृतक जरिये वारिसान)
1/1- नसीबन बैवा रफीक
1/2- जीमल अहमद पुत्र रफीक
1/3- जलालुदीन पुत्र रफीक
1/4- मोहम्मद शकील पुत्र रफीक
1/5- इक्फतकार पुत्र रफीक
1/6- अलरोज पुत्र रफीक
1/7- फिरोज पुत्र रफीक
1/8- जुबैदा पुत्री रफीक
1/9- रजिया पुत्री रफीक
1/10- आबिदा पुत्री रफीक
1/11- समीना पुत्री रफीक
2. हाफीज पुत्र सदीक
समस्त जाति देशवाली मुसलमान निवासीगण बालिया तहसील डीडवाना जिला नागौर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार।

रेस्पो0 ....

उपस्थितिः-
श्री एस0पी0सिंह, अभिभाषक अपीलांट 1 व 2
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पो0
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, उप राजकीय अधिवक्ता

खण्डपीठ
श्री पुरूषोत्तम लाल सैनी, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

निर्णय

दिनांकः- 21-7-2025

1- उपरोक्त दोनों अपीलें अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर द्वारा अपील संख्या-17/2000, बउनवान रफीक वगैरह बनाम मोतीराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों अपीलें एक ही आक्षेपित निर्णय दिनांक 22-01-2002 के विरूद्ध पेश की गई है, जिसमें विवाद बिन्दु, पक्षकार एवं प्रकरण की विषय वस्तु समान होने के कारण सुविधा की दृष्टि से इनका एक साथ निस्तारण इस निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 3 तहसीलदार, डीडवाना द्वारा विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध मोतीराम, सदुडी, रफीक व हाफीज इस आशय का पेश किया गया कि ग्राम सिगरावटकलां तहसील डीडवाना में स्थित विवादित आराजी ख0न0 38, 40 व 51 कुल किता 3 कुल रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा भूमि सदुडी व मोतीराम की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है, जो जाति से मेघवाल होने के कारण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.6.68 को रफीक व हाफीज को बेचान कर दी गयी, जो स्वर्ण जाति के व्यक्ति की श्रेणी में आते है, इसलिए उक्त बेचान को शून्य घोषित करते हुये विवादित आराजी रकबा राज ली जाकर सिवायचक दर्ज की जाये।

विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने के उपरांत अपने निर्णय दिनांक 11.04.2000 से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार करते हुये विवादित आराजी को राजकीय भूमि घोषित करने का आदेश पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.01.2002 द्वारा अपीलांट्स की अपील खारिज कर दी गई।

यह कि उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा भिन्न–भिन्न तथ्यों के आधार पर हस्तगत द्वितीय अपीलें मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3– सर्वप्रथम विद्वान अभिभाषकगण की बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 पर सुनी गयी। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन रहा कि उनके अनपढ व ग्रामीण काश्तकार होने व विधिक प्रावधानों की अनभिज्ञता के कारण उक्त अपील देरी से प्रस्तुत की है। इसका विरोध करते हुए अति. राजकीय अधिवक्ता ने अपील को अवधि बाधित मानते हुए खारिज करने का निवेदन किया। उभय पक्षों को सुना गया एवं तर्कों पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुति में हुई देरी सद्भाविक प्रतीत होती है तथा अपीलार्थीगण के कथन शपथ पत्र से समर्थनीय है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के प्रति नरम रूख

अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

4– उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट्स मोतीराम व सदुडी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई बेचान पत्र दिनांक 26.06.1968 को क्रेतागण रफीक व हाफीज के पक्ष में तहरीर नहीं करवाया गया। उक्त बेचान पत्र केवल अनुसूचित जाति के व्यक्ति (मोतीराम व सदुडी) की खातेदारी भूमि हडपने के लिए फर्जी तौर पर तैयार किया गया है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संधारण योग्य ही नहीं था, परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त तथ्यों के विपरीत जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये अपीलांट्स की खातेदारी भूमि को सिवायचक घोषित करने के आदेश पारित कर दिये, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने आगे तर्क दिया कि उक्त विवादित आराजी बाबत वर्ष 1983 में भी एक वाद अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय सहायक कलेक्टर डीडवाना के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 26.03.84 को डिक्री किया गया। उक्त आधार पर भी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का संधारण योग्य नहीं था, परन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तथ्यों के विपरीत जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये अपीलांट्स की खातेदारी भूमि को सिवायचक घोषित करने के आदेश पारित कर दिये जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि जब विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को वाद में परिवर्तित कर लिया था तो उन्हें इस पर तनकीयात कायम करते हुये दावे की पूर्ण प्रकिया अपनाते हुये निर्णित करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा उक्त प्रकिया नहीं अपनाते हुये केवल मात्र सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र को निर्णित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय था। इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित करते हुये दावे की पूर्ण प्रकिया अपनाने का आदेश दिया जाना चाहिए था, परन्तु उन्होंने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बहाल रखा जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अंत में विद्वान अभिभाषगण ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को अपास्त करने का निवेदन किया।

5– विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विक्रय पत्र दिनांक 28.06.1968 के द्वारा विवादित आराजी ख0न0 38, 40, 51 कुल किता 3 कुल रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा भूमि का विक्रय मोतीराम व उसके पिता लादूराम द्वारा रफीक व हाफीज को किया गया। उक्त विक्रय पत्र अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्तियों के पक्ष में किया गया है जो प्रचलित नियमों के आधार पर शून्य है। अनुसूचित जाति का सदस्य अपनी खातेदारी भूमि को किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को विक्रय नहीं कर सकता है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्ति को किया गया पंजीकृत विक्रय पत्र वर्तमान प्रचलित नियमों तथा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से प्रभावहीन व शून्य प्रभावी है। विचारण न्यायालय ने इसी आधार पर विवादित आराजी को कब्जे राज लिया जाकर सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया है जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यथावत रखा है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती है, जिनमें ऐसी कोई विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि प्रकट नहीं होने से द्वितीय अपील अस्वीकार कर खारिज की जाये।

6– उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

7– पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त विक्रय पत्र दिनांक 28.06.1968 के द्वारा विवादित आराजी ख0न0 38, 40, 51 कुल किता 3 कुल रकबा 27 बीघा 15 बिस्वा भूमि का विक्रय मोतीराम व उसके पिता लादूराम द्वारा अपीलार्थी रफीक व हाफीज को किया गया। उक्त विक्रय पत्र अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा स्वर्ण जाति के व्यक्तियों के पक्ष में किया गया है जो प्रचलित राजस्व नियमों के आधार पर शून्य है। राजस्व विधि स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति का सदस्य अपनी खातेदारी भूमि को किसी स्वर्ण जाति के व्यक्ति को विक्रय नहीं कर सकता है। अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा स्वर्ण जाति के सदस्य के पक्ष में किया गया पंजीकृत विक्रय पत्र वर्तमान प्रचलित नियमों तथा धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विपरीत होने से प्रांरभतः अवैध एवं शून्य दस्तावेज है।

इस संबंध में धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को निन्नानुसार उद्धरित किया जा रहा हैः-

> **Section-42. Gerneral restrictions on sale, gift and bequest -** The sale, gift or bequest by a khatedar tenant of his interest in the whole or part of his holding shall be void,if-
>
> (b) Such sale, gift or bequest is by member of Scheduled Caste in favour of a person who is not a member of the Scheduled caste, or by a member of Scheduled Tribe in favour of a person who is not a member of the Schedueld Tribe.

8- उल्लेखनीय है कि विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने अपने बहस में उक्त विवादित आराजी बाबत एक दावा अंतर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने व उसका निर्णय दिनांक 26.3.84 का जिक्र किया परन्तु अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा दावा की प्रति एवं निर्णय दिनांक 26.3.84 की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए उक्त बिन्दु पर किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। चूंकि विक्रय पत्र दिनांक 28-06-1968 प्रांरभ से अवैध व शून्य दस्तावेज है जिसके आधार पर अपीलार्थी रफीक व हाफिज को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। उभय पक्षों द्वारा धारा-42 का उल्लंघन किये जाने के फलस्वरूप ही विवादित भूमि बाबत् धारा-175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र संबंधित तहसीलदार द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश कर विवादित भूमि को सिवायचक घोषित करने की प्रार्थना की गई, जिस पर विचारण न्यायालय ने विधिनुसार कार्यवाही करते हुए विवादित आराजी को राजकीय भूमि घोषित किये जाने का आदेश दिनांक 11-04-2000 पारित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11-04-2000 की पुष्टि योग्य अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 22-01-2002 द्वारा की है। इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समान निष्कषो पर आधारित होकर समवर्ती निर्णय है, जिनमें किसी प्रकार की विधि या तथ्य संबंधी त्रुटि कारित होना नहीं पाये जाने के कारण हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतएव प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

9– परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपीलें यथा (989/2002 एवं 3689/2005) सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22–01–2002 व न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11–04–2000 बहाल रखे जाते है।

इस निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(पुरूषोत्तम सैनी)
सदस्य